सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद पत्र स0 290/20165

सूर्यप्रकाश उम्र 63 पुत्र स्व. चिरजीलाल जाति महाजन जैन निवासी धून्धरी तह.केकडी
———वादी

♠बनाम♠

1- धापू पत्नि स्व. माधू जाति कुमावत निवासी धून्धरी
2- क्लू पुत्र स्व. माधू जाति कुमावात निवासी धून्धरी
3- ब्द्री पुत्र स्व. माधू,जाति कुमावत निवासी धून्धरी
4- शैतान पुत्र स्व. माधू जाति कुमावत निवासी धून्धरी

————प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188,92ए,व 209राजस्थान टिनेन्सी एक्ट.

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय दिनांक 01.05.2018

पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प धून्धरी में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित । उभय पक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने एक वाद पत्र वादअन्तर्गत धारा 188,92ए,209 राज.काश्त.अधि.के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया है साथ प्रार्थनापत्र 212 का भी प्रस्तुत किया है। वाद पत्र में वादी द्वारा ग्राम धून्धरी के वाद वर्णित आराजीयात के खाता स. 756 खसरा नम्बर 1629 रकबा 0.01 किस्म बारानी 2 खसरा नम्बर 1630 रकबा 0.23 है. किस्म बा.2 ,खसरा नम्बर 1664/3112 रकबा 0.33 है. किस्म बारानी 2 कल किता 3 कुल रकबा 0.57 है. जमाबन्दी स. 2069–72 में दर्ज खातेदार 1/2 है। प्रतिवादीगण स्व. माधू के वारिसान है। माधु पुत्र रामकरण फोत हो चुका है। वादी उक्त आराजीयात का रिकॉर्डेड 1/2 हिस्सेदार है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहा है। वादी का प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। वाद प्रस्तुत करने का मूल कारण मान्य न्यायालय के क्षैत्राधिकार में अव्वल दिनांक 15.4.16 को जब से प्रतिवादीगण वादी को उक्त भूमि कब्जे काश्त में बाधा देने लगे तब उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे कि उक्त भूमि के वादी के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या दखल अन्दाजी नहीं करें और न ही वादी के हिस्से की 1/2 भूमि में कोई क्षति कारित करें न ऐसा कोई कार्य करे जिससे वादी को उसके 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त में उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न हो का निवेदन किया है।

अतः विचाराधीन पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दिनांक 7.3.2017 को प्रस्तुत किया गया , जो शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रस्तुत जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वाद मे वर्णित तथ्य को अस्वीकार किया है।

हमने प्रार्थी के वादपत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया जावें एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी व प्रतिवादीगण को सुना गया । वादग्रस्त आराजी वादी एव प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी होना पाया गया। वादी का वाद वादी/प्रतिवादीगण का सह खातेदारी होने से सहखातेदार के विरूद्व नियमानुसार स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अतः वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर दावा पोषणीय नही होने खारिज खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 1.5.2018 को पृथक से लिखा जाकर लोक अदालत न्याय आपके द्वार **केम्प धुन्धरी** में मजमें आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफतर हों । उक्त निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी